



डजिटल इंडिया अधिनियम, 2023

प्रलिस के लयः

डजिटल इंडया अधनयडड, 2023, सूचना डरुडडडडडड डधनयडड (IT अधनयडड), 2000, डजडडल वडकुतडड डेटा संरकुषण वधडडक, 2022, साइडर सुरकुषा, कुतुरडड डुधडडडता (AI), डडडडडड।

डेनुस के लयः

डजडडल इंडया अधनयडड, 2023, साइडर सुरकुषा।

करुषा डें कुडुडु?

इलेकुतुरुडनुकुस एवं सूचना डरुडडडडड डनुतरालड डलुड डी डजडडल इंडया अधनयडड, 2023 अधनयडडडड करेगा डु सुचना डरुडडडडड डधनयडड (IT Act), 2000 कु डरुतसुडुडडडड करेगा।

- डडरतुडड संसुड नवडडर 2022 डें डरुसुतलवडड डजडडल वडकुतडड डेटा संरकुषण वधडडक, 2022 के साथ डजडडल इंडया अधनयडड कु लागु करनुे कु डुडडन डनल रडड डै, डडु डुनुु कुनुन डक-डूसरे के साथ सडनुवडड डें कुडड करुुगे।

नड अधनयडड कु डलवशुडकुतल:

- IT अधनयडड, 2000 कु लागु कुडड डलनुे के डलड से डजडडल कुषुतुर कु डरुडडडडड करनुे के डरुडडडडड डें कुडु डरुशुडडन डुर संशुडन (IT अधनयडड संशुडन, 2008 तथल IT नडड संशुडन, 2011) डुड डै, डसडड डेटल डरुडडन नुतडडु डरु डधकु डल डेते डुड इसे वनडडडडड कुडड डल डै।
- कुुकु IT अधनयडड डुल रूड से केवल ई-कुडडरस लेन-डेन कु रकुषल डुर साइडर डडरलुु कु डरुडडडडड करनुे के लडड डडुडलन कुडड डल थलडड वरुतडडल साइडर सुरकुषल डरुडुशुड कु डलरुडडु से नडडडने डें डरुडडडड रूड से सकुषड नडुु थल डुर न डी डड डेटल डुडनुडडड अधकुडरुु कु संडुधतु करतल थल।
- नडडडड डजडडल कुनुनुु के डुरण डरुतसुडुडडड के डनल, IT अधनयडड साइडर डडलुु के डडते डरुडडडड डुर डर कु डनल डरुखने डें वडडल रडुेगा।
- नड डजडडल इंडया अधनयडड डें डधकु नवलर, डधकु सुतलरुतडड कु सकुषड करके डुर साथ डी सुरकुषल, वशुडलस एवं डवलडडेडी के डडडले डें डलरुत के नलरकुु कु रकुषल करके डलरुतुड वडडवसुथ के लडड उतुरेडडरु के रूड डें कुडड करनुे कु डरुकुलडनल कु डडु डै।

डजडडल इंडया अधनयडड 2023 के तडत संडलवतु डुरलवधलन कुडु डै?

डडवडडकुत कु सुवतंतुरतल:

- सुशल डीडडड डुलेतडुुडड कु डडनु सुनुलतु नुतडडु कु डड डडवडडकुत कु सुवतंतुरतल डुर डुल डडवडडकुत कु अधकुडरुु के लडड सुवैधलनकु सुरकुषल तड सुडडतु कुडड डल सकुतल डै।
 - सूचना डुर डरुडडडडड नडड, 2021 डें डकुतुडर 2022 के डक संशुडन डें कुडल डल डै कुडुलेतडुुडड कु डडडुडडरुतुतलडुु कु सुवतंतुर डडवडडकुत कु अधकुडरुु कु सडडडन करनल डलडडड।
 - सुशल डीडडड डडडुडडरुतुतलडुु डवलरल सलडगुरी संडुधु शकुडलतुु के नवलरण के लडड डड तलन शकुडलत डडुडुडड सुडतुडडुु कु सुथलडनल कु डडु डै।
 - इनुु डड डजडडल इंडया अधनयडड डें शलडल कुडड डलनुे कु सुडलवनल डै।

डुनलललन सुरकुषल:

- डड अधनयडड कुतुरडड डुधडडडड (AI), डडडडडड, साइडर कुरलडड, इंतरनेत डुलेतडुुडड के डुड डरुतसुडुडडड के डुडुु डुर डेटल सुरकुषल कु

शामल करेगा।

- सरकार ने 2022 में एक डजिटल परसनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार किया, जो डजिटल इंडिया एक्ट के चार पहलुओं में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रीय डेटा शासन नीति तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के साथ-साथ डजिटल इंडिया अधिनियम के तहत तैयार किये गए नयिम भी शामिल हैं।

■ नया न्यायिक तंत्र:

- ऑनलाइन किये गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिये एक नया "न्यायिक तंत्र" लागू होगा।

■ सेफ हार्बर:

- सरकार साइबर स्पेस के एक प्रमुख पहलू- 'सेफ हार्बर' पर पुनर्विचार कर रही है, यह एक सदिधांत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा किये गए पोस्ट के लिये उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति देता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 जैसे नयिमों द्वारा हाल के वर्षों में इस शब्द पर लगाम लगाई गई है, जिसके लिये सरकार द्वारा ऐसा करने का आदेश दिये जाने पर या कानून द्वारा आवश्यक होने पर पोस्ट को हटाने के लिये प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता होती है।

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक:

- यह वधियक भारत के भीतर डजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन डजिटल रूप में एकत्र किया जाता है। यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिये है तो यह भारत के बाहर इस तरह के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा।
- व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिये संसाधित किया जा सकता है जिसके लिये व्यक्ति ने सहमति दी है। यह सहमति कुछ मामलों में मानी जा सकती है।
- डेटा फडियूशरी (नयिमक) डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसका उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिये बाध्य होंगे।
 - "डेटा फडियूशरी" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मलिकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करता है।
- यह बलि लोगों को कई अधिकार प्रदान करता है, जिसमें सूचना प्राप्त करने, सुधार करने, हटाने और शिकायत नविवरण का अधिकार शामिल है।
- केंद्र सरकार वशिष्ट कारणों से जैसे- राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम करने में शासकीय एजेंसियों को बलि के प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकती है।
- बलि की आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के मामलों को तय करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी।

अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून:

■ यूरोपीय संघ मॉडल:

- सामान्य डेटा संरक्षण वनियम व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिये व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
- यूरोपीय संघ में नजिता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहित है जो किसी व्यक्ति की गरमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करने हेतु लक्षित है।

■ संयुक्त राष्ट्र मॉडल:

- अमेरिका में गोपनीयता अधिकारों या सदिधांतों के लिये कोई समग्र वनियम नहीं है जैसा कि EU का GDPR, जो डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण को वनियमित करता है।
- इसके बजाय यह सीमिति क्षेत्र-वशिष्ट वनियमन है। सार्वजनिक और नजि क्षेत्रों के लिये डेटा सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अलग है।
 - गोपनीयता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानून के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी तथा सरकार की गतिविधियों और शक्तियों को अच्छी तरह से परिभाषित एवं सूचित किया गया है।
 - नजि क्षेत्र के लिये कुछ क्षेत्र आधारित वशिष्ट मानदंड हैं।

■ चीन मॉडल:

- पछिले 12 महीनों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जारी किये गए नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (PIPL) शामिल है जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
 - यह चीनी डेटा वनियमकों को नए अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
 - डेटा सुरक्षा कानून (DSL), जो सितंबर 2021 में लागू हुआ, व्यावसायिक डेटा को उनके महत्त्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। DSL सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध आरोपित करता है।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-india-act-2023>

